रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223107 CG-DL-E-17112020-223107

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] No. 490] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020

आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.067 .—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:—

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल कहा गया है) में, विनियम 30 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"30क, लेनदारों को देय ऋण का अंतरण

- (1) कोई लेनदार, समापन प्रक्रिया के दौरान उसे देय ऋण का किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशन या अंतरण, ऐसे समनुदेशन या अंतरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार कर सकेगा।
- (2) जहां कोई लेनदार उसे देय ऋण का उप-विनियम (1) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशन या अंतरण करता है वहां दोनों पक्षकार परिसमापक को ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान उपलब्ध कराएंगे।

5527 GI/2020 (1)

- (3) परिसमापक, हितधारकों की सूची में विनियम 31 के उपबंधों के अनुसार उपांतरण करेगा।"।
- 3. मूल विनियमों में, विनियम 37 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"37क. ऐसी आस्तियों का समनुदेशन, जो आसानी से वसूलीयोग्य नहीं है।

(1) परिसमापक, ऐसी किसी आस्ति को, जो आसानी से वसूलीयोग्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र है, विनियम 31क के अनुसार हितधारकों की परामर्श समिति के परामर्श से एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिफल के लिए समनुदेशित या अंतरित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए "आसानी से वसूलीयोग्य नहीं आस्ति" से समापन संपदा में सिम्मिलित ऐसी कोई आस्ति अभिप्रेत है, जिसका विक्रय उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से नहीं किया जा सका था और इसके अंतर्गत आकस्मिक या विवादित आस्तियां और संहिता की धारा 43 से 51 और धारा 66 में निर्दिष्ट अधिमानी, न्यून मूल्यांकित, उद्दापक प्रत्यय और कपटपूर्ण संव्यवहारों से संबंधित कार्यवाहियों में अंतर्निहित आस्तियां भी हैं।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 38 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्दों 'आसानी से या लाभप्रद तरीके से नहीं बेची जा सकती है', के स्थान पर "विक्रय, समनुदेशीत या अंतरित नहीं की जा सकी" शब्द रखे जाएंगे।

डॉ. एम. एस. साह, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./348/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./ आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं.312, तारीख 5 अगस्त, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/ जी.एन./आर.ई.जी.062, तारीख 5 अगस्त, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (तीसरा) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2020.

IBBI/2020-21/GN/REG067.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Fourth Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the principal regulations), after regulation 30, the following regulation shall be inserted, namely:—

"30A. Transfer of debt due to creditors.

- (1) A creditor may assign or transfer the debt due to him or it to any other person during the liquidation process in accordance with the laws for the time being in force dealing with such assignment or transfer.
- (2) Where any creditor assigns or transfers the debt due to him or it to any other person under sub-regulation (1), both parties shall provide to the liquidator the terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or transferee.
- (3) The liquidator shall modify the list of stakeholders in accordance with the provisions of regulation 31.".

3. In the principal regulations, after regulation 37, the following regulation shall be inserted, namely:—

"37A. Assignment of not readily realisable assets.

(1) A liquidator may assign or transfer a not readily realisable asset through a transparent process, in consultation with the stakeholders' consultation committee in accordance with regulation 31A, for a consideration to any person, who is eligible to submit a resolution plan for insolvency resolution of the corporate debtor.

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation, "not readily realisable asset" means any asset included in the liquidation estate which could not be sold through available options and includes contingent or disputed assets and assets underlying proceedings for preferential, undervalued, extortionate credit and fraudulent transactions referred to in sections 43 to 51 and section 66 of the Code."

4. In the principal regulations, in regulation 38, in sub-regulation (1), for the words "cannot be readily or advantageously sold", the words "could not be sold, assigned or transferred" shall be substituted.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./348/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. IBBI/2020- 21/GN/REG062, dated the 5th August, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 312 on 5th August, 2020.